



शिक्षा व सामाजिक चेतना में महात्मा गांधी का योगदान

डॉ. परविन्द्रजीत सिंह

प्राचार्य

संत श्री प्राणनाथ परनामी पी जी कॉलेज पदमपुर

सारांश -

महात्मा गांधी सिर्फ एक नाम ही नहीं बल्कि एक पूरी विचारधारा है इनको जितना ज्यादा समझने की कोशिश होती है, उतनी ही नई बातें सामने आती हैं। गांधी जी ने भारत के साथ-साथ पूरे विश्व को सत्य और अहिंसा का पाठ सिखाया। उनके द्वारा दिया गया चरखा, लोगों के लिए स्वाभिमान का प्रतीक बन गया, चरखे के धागों से पूरा देश बंधता चला गया जिससे आजादी की लड़ाई को और मजबूती मिली। लेकिन हमारा दूरगम्य है कि जिस आजादी के लिए उन्होंने जीवन भर प्रयास किया आजादी मिलने के पश्चात वे हमें छोड़कर पंच तत्व में विलीन हो गये परन्तु उनका नाम और उनके द्वारा बनायी नीतियां अनन्तकाल तक भारत के साथ-साथ सम्पूर्ण विश्व का मार्ग दर्शन करती रहेगी। उनके द्वारा शिक्षा व सामाजिक चेतना के क्षेत्र में दिये गये विचार सदैव प्रासंगिक हैं।

शब्द संकेत - अस्पृश्यता विरोधी आन्दोलन, खादी, महिला उत्थान, सामाजिक चेतना,

शिक्षा व सामाजिक चेतना पर महात्मा गांधी के विचार -

प्राचीन सूक्ति सा विद्या या विमुक्तये आज भी उतनी ही सत्य है जितनी कि प्राचीन काल में थी। शिक्षा से यहां आशय केवल अध्यात्मिक शिक्षा से नहीं है, न विमुक्ति से आशय मृत्यु के उपरान्त मोक्ष से है। बल्कि ज्ञान में वह समस्त प्रशिक्षण समाहित है जो मानव जाति की सेवा के लिए उपयोगी है और रहेगी विमुक्त का अर्थ है वर्तमान जीवन की भी सभी प्रकार की पराधीनताओं से मुक्ति। पराधीनता दो प्रकार की होती है बाहरी आधिपत्य की दासता और आदमी की अपनी कृत्रिम आवश्यकताओं की दासता। इसी आदर्श की प्राप्ति के लिए किया गया ज्ञानार्जन ही सच्ची शिक्षा है।

प्राचीन काल से ही हिन्दुस्तान आक्रमणकारियों के लिए आकर्षण का केन्द्र बना रहा है। यहाँ की आंतरिक समृद्धि ने हमेशा से विदेशियों को अपने तरफ आकर्षित किया है। हिन्दुस्तान के तरफ आने वाले बाह्य



आक्रान्ताओं में इस्लाम के अनुयायियों की संख्या अधिक रही हिन्दुस्तान के अतिरिक्त धर्म आने वाले इस्लाम के अधिकतर अनुयायी धन सम्पदा के संग्रह प्रचार की आकांक्षा लिए आते थे। यहाँ आने वाले अधिकतर इस्लाम के अनुयायी (आक्रान्ता) यहीं के होकर रह गये। इसका परिणाम यह हुआ कि हिन्दू अपने धार्मिक सामाजिक रीति-रिवाजों और परम्पराओं को लेकर कठोर होते चले गये उन्हें अपने धर्म की सुरक्षा को लेकर जो संशय था वह इतना अधिक हो गया था कि वह सन्तों, महापुरुषों के द्वारा भी दूर करना मुश्किल हो गया। ऐसी समय में धर्म की बागडोर ऐसे लोगों के हाथों में चली गयी जिनका न तो धर्म से कोई सरोकार था न ही जिनको धर्म की जानकारी थी।

शिक्षा में योगदान

गांधी जी का मानना है कि हमारे जीवन का सम्बन्ध का लोक व पारलौकिक लोक दोनो से होता है अतः गांधी जी ने दोनो में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया है। इस दृष्टिकोण से उन्होंने शिक्षा के उद्देश्यों का दो भागों में बांटा

(1) तत्कालिक शिक्षा

(2) सर्वोच्च शिक्षा

इस उद्देश्य से तात्पर्य यह है कि बालक को बड़े होकर अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आत्म निर्भर बनाना। यदि शिक्षा यह कार्य करने में असमर्थ है तो इस प्रकार की शिक्षा का कोई औचित्य नहीं रहा जाता है। कुछ लोगो को यह उद्देश्य तुच्छ और भौतिक प्रतीत होता है लेकिन जब तक लोगो की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी वह अपनी नैतिक प्रगति करने में असमर्थ ही रहेगा।

गांधी जी ने संस्कृति और शिक्षा के सांस्कृतिक उद्देश्य का बताते हुए 1946 में 'कस्तुरबा बालिका आश्रम' की स्थापना की। गांधी जी इसके बारे में अपने मित्र रवीन्द्रनाथ टैगोर से भी बात करते हैं। जिसकी सूचना हमें उनके पत्रों के माध्यम से होती है।

गांधी जी का विश्वास है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है , नैतिक विकास। उन्होंने अपनी 'आत्माकथा' में स्पष्ट लिखा है कि मैंने हृदय की संस्कृति व चरित्र निर्माण को सदैव प्रथम स्थान दिया है।



गांधी जी का मानना था कि शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य वास्तविकता का अनुभव की अर्थात ईश्वर और आत्मानुभूति का ज्ञान। उनका कहना था कि मनुष्य का नैतिक और पूर्ण विकास इसलिए किया जाना चाहिए जिससे कि वह अन्तिम वास्तविकता को जान सकें। गांधीजी का मानना है कि हमारा अधिकांश समय रोजी रोटी कमाने में ही व्यतीत होता है इसलिए हम सभी को शुरू से ही बच्चों को श्रम की गरिमा के बारे में पाठ सिखाना चाहिए।

तत्कालीन शिक्षा प्रणाली के सन्दर्भ में भारतीय नेताओं का विचार था कि अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को दी गयी शिक्षा ने नवयुवकों के दृष्टिकोण को पूर्णतः बदल दिया है। ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के कारण लोग प्रत्येक वस्तु को यूरोपीय मानक से तौलते हैं। इसलिए यह महसूस किया गया कि जब तक लोगों में इस मानसिक दासता से मुक्ति नहीं दी जाती तब तक वे राजनीतिक दासता से मुक्ति के लिए नहीं लड़ सकते। इन सारी कमियों का मुख्य कारण ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के अधीन स्कूलों व कालेजों का विकास माना गया।

असहयोग आन्दोलन के दौरान सरकारी शिक्षण संस्थाओं के बहिष्कार के साथ इस बात पर भी बहस हुई कि छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा दी जाये। राष्ट्रीय शिक्षण संस्था से तात्पर्य था ऐसी ऐसी संस्था जो सरकार से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता न ले और न ही उसके द्वारा किसी प्रकार से नियंत्रित की जाये।

गाँधी जी मातृभाषा में शिक्षा देना चाहते थे। उन्होंने विदेशी भाषा के माध्यम से शिक्षा को उपयुक्त नहीं माना। जब 13 अप्रैल, 1921 में कटक में उनसे यह पूछा गया कि अंग्रेजी भाषा के कुछ लाभ भी हुए हैं जैसे लोकमान्य तिलक, राजा राम मोहन राय तथा स्वयं गाँधी जी अंग्रेजी शिक्षा की देन हैं तब गाँधी जी ने इसका अन्तर देते हुए कहा कि यदि इनकी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं रही होती तो ये लोग और महान हुए होते। उन्होंने कहा कि - तमाम सुविधाओं के बाद भी ये लोग चैतन्य, शंकर, कबीर, नानक और तुलसीदास से बहुत पीछे है जो शंकराचार्य ने अकेले प्राप्त किया वह पूरा अंग्रेजी पढ़ा लिखा भारत नहीं प्राप्त कर सकता।

विद्यार्थी के अनुशासनहीन होने पर विश्व विद्यालयों का वातावरण विषाक्त हो जाता है। फलस्वरूप भारतीय समाज के रचनात्मक कार्यों की प्रगति अवरूद्ध होती जायेगी। आन्दोलन केवल उन लोगो के लिए है जिन्होंने अपना अध्ययन पूरा कर लिया है अध्ययन के दौरान विद्यार्थियों का एक मात्र कार्य अपने ज्ञान में वृद्धि



करना होना चाहिए। जिससे की वे देश की प्रगति में सहायक सिद्ध हो। गांधी जी शिक्ष के माध्यम को लेकर अत्यन्त चिन्तित थे। उनके अनुसार शिक्षा का माध्यम तत्काल बदल देना चाहिए और उनके जगह प्रान्तीय भाषाओं पर उचित ध्यान देना चाहिए। हो सकता है। इससे उच्चतर शिक्षा में कुछ समय के लिए कुछ कठिनाई आए परन्तु इससे राष्ट्रीयता का लाभ होगा। इसके अलावा केन्द्र में सर्वोपरि स्थान हिन्दुस्तानी भाषा को दिया जाना चाहिए।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गांधी इस प्रकार की शिक्षा देना चाहते थे जिनके द्वारा व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन दोनों में ही इसका सदुपयोग कर सके। जिसके द्वारा, मनुष्य, के बुद्धि, शरीर और आत्मा तीनों का विकास हो और जिसके द्वारा ऊँची मानसिक एवं अध्यात्मिक उन्नति प्राप्ति की जा सके।

सामाजिक चेतना में महात्मा गांधीका योगदान

भारतीय समाज में धर्म अत्यन्त महत्त्वपूर्ण इकाई था। धर्म और समाज एक-दूसरे से जुड़े हैं। अतः धर्म समाज में होने वाले घटनाओं को बहुतायत प्रभावित भी करता रहा है। इसके साथ ही वर्ण-व्यवस्था अपने विकृत स्वरूप में थी। सम्पूर्ण समाज ब्राह्मण , क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बटा हुआ था। इस विभाजन में उच्च स्थान पर ब्राह्मण आसीन थे व सभी उच्च या प्रतिष्ठा के पद इन्होंने अपने अधीन कर रखा था तथा इनका क्रियान्वयन अपने सुविधा के अनुसार करते थे। सभी लोगों के कार्य उनकी जाति के अनुसार विभाजित कर रखा था। जैसे सैन्य सम्बन्धी कार्य क्षत्रियों को , नाई का काम बाल काटना , धोबी का काम कपड़ा धूलना , चमार का जुता बनाना इत्यादि। जातिगत रूढ़िता समाज में अत्यन्त ही जटिल थी।

समाज में अस्पृश्यता चरम पर थी , निम्न जाति के लोग ऊँची जातियों के बस्ती के आस-पास घर बनाकर नहीं रह सकते थे। कुछ भागों जैसे दक्षिण भारत में तो कुछ जातियों के लिए किन्हीं कस्बों तथा गांवों में प्रवेश पर भी प्रतिबन्ध था। गांव के जिस कुए से उच्च जातियाँ पानी लेते थे वहाँ से अछूत पानी नहीं ले सकते थे। समाज में छुआछूत के अलावा विद्यालयों में छात्रों के साथ भी उचित व्यवहार नहीं होता था। मंदिरों में प्रवेश वर्जित था, महिलाओं की स्थिति भी अत्यन्त बुरी थीं, चाहे वे किसी भी वर्ग से हों। पुरुष अपने सहूलियत



के हिसाब से उनको उपभोग की वस्तु समझते थे। कुल मिलाकर सामाजिक स्थिति बेहतर नहीं थी। इस प्रकार की पृष्ठभूमि में गांधी एक प्रकाश पूंज की तरह भारत में उदयमान होते हैं। जिन्हें “आधुनिक भारत के भाग्य विधाता कहा जाता है।” दक्षिण अफ्रीका में समय बिताने के पश्चात् गांधी जी ने सत्य और अहिंसा , साध्य और साधन की श्रेष्ठता तथा व्यक्ति की नैतिक पवित्रता आदि प्रमुख सिद्धान्तों को प्राप्त करने और बुराईयों को नष्ट करने के नए मार्ग ‘सत्याग्रह’ के साथ भारत में पदार्पण किया।”

गांधी जी के नेतृत्व से देश को एक ऐसा अभूतपूर्व नेतृत्व मिला , जिसने दिशाहीन समाजसुधार आन्दोलनों को एक नयी दिशा दी , साथ-साथ राष्ट्रीय आन्दोलन को भी नेतृत्व प्रदान किया। गांधी जी की सामाजिक चेतना मानवतावादी एवं समानतावादी भावनाओं से पूर्णतया अभिप्रेरित थी। इन्हीं भावनाओं से प्रेरित होकर उन्होंने समाज सुधार का कार्य प्रारम्भ किया। सामाजिक क्षेत्र में भी उन्होंने राजनीतिक सिद्धान्तों ‘सत्य और अहिंसा’ का अवलम्बन किया।

गांधी जी के जाति प्रथा सम्बन्धी विचार महत्वपूर्ण थे। जाति प्रथा के महत्व को स्पष्ट करते हुए उन्होंने ‘यंग इण्डिया’ में लिखा था कि यह सामाजिक स्थिति और प्रगति के बीच तालमेल बनाये रखने का सबसे अच्छा तरीका है।

इसके अलावा गांधी जी आर्थिक दृष्टि से जाति प्रथा के महत्व को मानते थे। उन्होंने यह लिखा है कि “जाति प्रथा के फलस्वरूप नयी पीढ़ियों को उनके परिवारों में चले रहे परम्परागत कला-कौशलों की शिक्षा सहज ही मिल जाती है और स्पर्धा का क्षेत्र सीमित रहता है। गांधी जी के विचारों में ऊँच-नीच और छुआछूत को कोई ख्याल नहीं था। उन्होंने जातिप्रथा की ऊँच-नीच भावना का विरोध करते हुए कहा कि हिन्दू धर्म इसका विरोध करता है। गांधी जी अस्पृश्यता के भयानक दृश्य को देखकर द्रवित हो जाते थे इसलिए उन्होंने अपने रचनात्मक कार्यों में अस्पृश्यता उन्मूलन कार्यक्रम को प्रमुखता दी थी।

गांधी जी की अस्पृश्यता निवारण सम्बन्धी चेतना पश्चिम से प्रभावित न होकर पूर्ण रूप से हिन्दू धर्म शास्त्रों पर आधारित थी। हिन्दू धर्म-ग्रन्थों का अध्ययन के पश्चात् गाँधी जी इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि यदि



सम्पूर्णता से देखा जाय तो हिन्दू शास्त्रों में कहीं भी अस्पृश्यता का समर्थन नहीं किया गया है। अस्पृश्यता-निवारण के लिए वह अछूतों को उनके पेशे को छुड़वाने के पक्ष में नहीं थे अपितु अछूतों की स्थिति में परिवर्तन के साथ-साथ उन्हें मानसिक रूप से मजबूत करना चाहते थे। प्रारम्भ में गांधी अंतरजातीय विवाह के सम्बन्ध में सहमत नहीं थे परन्तु बाद में वे अन्तरजातीय विवाह को समर्थन करने लगे थे। वे कहते थे कि वे उसी शादी में सम्मिलित होंगे जो कि अन्तरजातीय हो। गांधीजी नारी उत्थान के प्रबल समर्थक थे। उनके विचार में एक राष्ट्र को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता तब तक नहीं मिल सकती , जब तक कि वहाँ की नारियों को उनके पूरे अधिकार न मिल जाये। गांधी जी नारी के दयनीय स्थिति के लिए पुरुषों और धार्मिक ग्रंथ के अन्धाधुन्ध अनुकरण को जिम्मेदार मानते थे।

गांधी जी बाल विवाह से जुड़ी दूसरी अन्य कुप्रथा , बेमेल विवाह (बाल , वृद्ध विवाह) का भी विरोध करते थे और इसे अत्यन्त ही अपराध मानते थे। इस व्यवस्था की भर्त्सना करते हुए गांधीजी कहते हैं कि , “बेमेल-विवाह तो दोगुना बड़ा अपराध है क्योंकि वृद्ध-विवाह में कन्या तो बालिका होती हैं और जो वृद्ध व्यक्ति, वृद्ध होने के बाद भी विवाह करने का विचार करता है वह एक सामाजिक पाप का भागी होता है। ऐसे विवाह में तो कन्या वर के जीते हुए भी एक तरह से विधवा गिनी जाती है जो वृद्ध व्यक्ति अपने विकारों को रोकने में असमर्थ हो उसे चाहिए कि वह किसी अपनी जैसी वृद्ध स्त्री से या प्रौढ़ उम्र की किसी ऐसी स्त्री से विवाह करें, जो बूढ़ी हो और सम्बन्ध जोड़ने को तैयार हो, इससे समाज की कम से कम हानि होनी सम्भव है।

भारतीय समाज में आदिवासी समाज आज भी एक उपेक्षित व शोषित घटक हैं। वे पूर्ण रूप से जंगलों पर निर्भर हैं और अपनी सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति वहीं से करते हैं। तत्कालिन समय में औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर उनका मनमाना शोषण करना प्रारम्भ किया तथा व्यापारी और साहूकारों ने इस कार्य को और अधिक वृद्धि प्रदान करने का कार्य किया। गांधी जी का मानना था कि आदिवासी लोगों को उचित स्थान प्राप्त कराना चाहिए ताकि वे अपनी क्षमताओं का उपयोग कर सकें। अतः उन्होंने “आदिम जाति सेवक संघ” की स्थापना भी की थी। गांधी जी चाहते थे कि आदिवासी शिक्षित और आत्मनिर्भर बनकर भारत की प्रगति में अपना योगदान कर अपनी महत्ता को प्रदर्शित करें। इसके



लिए उन्होंने अपने कई कार्यकर्ताओं को आदिवासियों की सेवा व सहयोग के लिए प्रोत्साहित व प्रेरित भी किया। आदिवासियों की एक गम्भीर समस्या थी उनका शराब का अति सेवन। गांधी जी ने उनके इस गलत आदत को छुड़ाने के संदर्भ में पर्याप्त प्रयास किया। गांधी जी मानते थे कि समाज और राष्ट्र की एकता व विकास के लिए, उसके साथी घटकों का समानता के आधार पर सहयोग होना चाहिए। ऐसा सहयोग ही राष्ट्र को सच्चे स्वराज्य तक ले जायेगा। इस प्रकार से आदिवासी सेवा भी स्वराज्य प्राप्ति का एक साधन है। दुःख की बात यह है कि आजादी के पश्चात् आदिवासियों के लिए योजनाएं तो काफी बनीं लेकिन उनके विकास के लिए आवश्यक जंगल पर अधिकार से आज भी वे वंचित किये जा रहे हैं और उनका विस्थापन किया जा रहा है। पूंजीपति और सरकार के कुछ लोग , विकास की नीतियों का दुरुपयोग करके खुद तो लाभ उठा रहे हैं। परन्तु आदिवासियों का शोषण कर रहे हैं और यह प्रक्रिया निरन्तर गतिमान है।

महात्मा गांधी जी ने शारीरिक और मानसिक श्रम के भेदभाव को मिटाने पर जोर देने के साथ ही सामाजिक और आर्थिक समानता पर भी बल दिया। वे जीवन भर जाति के आधार पर विषमता और जाति के नाम पर अन्त्यजों पर होने वाले अत्याचार का विरोध करते रहे। महात्मा गांधी जी के अनुसार अन्त्यजों का तिरस्कार बहुत बड़ा पाप है। जो हिन्दुओं (सवर्णों) द्वारा किया गया है। किन्तु इसके अतिरिक्त अन्त्यजों को भी चाहिए कि इस प्रथा से मुक्ति के लिए समाज का सहयोग करें। अपनी गंदी प्रवृत्ति जैसे मुर्दार मांस खाना , मदिरापान आदि का त्याग करने हेतु जोरदार प्रयास करें। ” शिक्षित अन्त्यजों को चाहिए कि वह शिन्दू नहीं है ऐसे विचार को अपने मन में किसी प्रकार भी स्थान न बनाने दें। यदि हिन्दू धर्म की मूल भावना को समझे तो वे स्वयं में भी अपनी स्थिति में सुधार करने का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं।

महात्मा गांधी जी का इस बात पर हमेशा बल रहा कि हमारी अज्ञानता और संदेह का भाजन बने लोगों को भौतिक और आध्यात्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही सवर्णों को भी आध्यात्मिक शिक्षा मिलनी चाहिए। जिससे सवर्ण अस्पृश्यों के कष्टों को समझ सकेंगे और तभी दोनों वर्गों में निकटता आ सकेगी। साथ ही आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हेतु उपवास का समावेश करना आवश्यक है। वैसे भी ज्ञान अनन्त और असीम होता है और प्रायः सभी के जीवन के लिए परम आवश्यक भी है। ज्ञान और सत्य को हर मूल्य पर मानव को अपने जीवन में आत्मसात करना ही चाहिए और सत्य किसी के लिए तभी संभव है जबकि वह



प्राणीमात्र के लिए प्रेम रखें और सभी के लिए हृदय में समभाव हो। ..

महात्मा गांधी जी सदैव स्पष्ट शब्दों में कहते थे। मुझे अपने धर्म के प्रति इतनी श्रद्धा है कि मुझे उसी में जीना है और उसी में मरना है। वैसे तो सब धर्मों में हिन्दू धर्म अति सहिष्णु , सरल है। इसमें कट्टरता तो नाम मात्र भी नहीं है। इसके अनुयायी सभी धर्मों का आदर करते हैं। महात्मा गांधी जी ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा के पक्षपाती थे। ईश्वर एक है , अद्वितीय है, अगम्य है, अज्ञेय है और बहुत सारे मनुष्यों के लिए तो अज्ञात व निराकार भी है। वेदों में भी एक ही ईश्वर की गूँज प्रतिध्वनित होती है। फिर मनुष्य-मनुष्य में कैसा भेद वह किस प्रकार से ऊँच नीच हुआ? उसमें अस्पृश्यता कहाँ से आयी? हिन्दू धर्म की यह सबसे बड़ी त्रुटि है जो सबसे अधिक दुःखदायी असहनीय, कलंक व अभिशाप है।

महात्मा गांधी जी ने कहा अस्पृश्यता रूपी श्राप के फलस्वरूप ही समय-समय पर अनेक प्राकृतिक विपदाएँ सहन करनी पड़ी है। यदि यह हमारे धर्म में है तो सभी दोषी है। हिन्दू धर्म में अस्पृश्यता ईश्वर और मनुष्यों के विरुद्ध किया गया गंभीर अपराध है और उन्होंने बार-बार वेद , उपनिषद भगवद्गीता , स्मृतियाँ आदि के अस्पृश्यता के सम्बन्ध में दैवी आज्ञा के किसी भी दावे से स्पष्ट इन्कार किया है महात्मा गांधी जी ने स्पष्ट किया कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने सवर्ण-अवर्ण नहीं बनाया , उन्होंने सिर्फ मनुष्य की रचना की है। वेदों उपनिषदों के मंत्रों में भी ब्रह्म की एकता का ही गान है। सदियों से चली आ रही अस्पृश्यता रूपी राक्षसी हमारे हिन्दू समाज के लिए अभिशाप सिद्ध हुई है। मनुष्य से मनुष्य की श्रेष्ठता का विचार ही निन्दनीय है। जो एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से अस्पृश्य बनाये पृथक् करें। महात्मा गांधी जी के विचार में यह हिन्दू धर्म में निहित सड़न, वहम और पाप है। यह सड़न केवल अछूतों तक ही सीमित नहीं है। सवर्णों में भी आपस में व्याप्त है। कुछ तो छुआछूत पालते-पालते पृथ्वी पर भार स्वरूप दृष्टिगोचर होते हैं।

संदर्भ ग्रंथ

1- चरित्र और राष्ट्रनिर्माण:- पृ0- 26, गांधी, नव जीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद

2- बी आर नन्दा: "महात्मा गांधी - एक जीवन" सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन ,नई दिल्ली, 1986



-
- 3- एम के गांधी: “दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास ”, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, 2011
 - 4- एम के गांधी: “सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा”, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, 2012
 - 5- एम के गांधी: “हिन्द स्वराज”, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, 2012